राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–122/2013

मोहर सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलीपुर, झुंझुनू।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी द्वारा उठाये गये अधिक वेतन के भुगतान की राशि 62795/– की वसुली की गई है। इस पर अपीलार्थी ने उक्त राशि चालान दिनांक 16.03.2012 के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करा दी थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से गलत रूप से रिकवरी की गई है। साथ ही उक्त वसुली अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के समय की गई है, जो उचित नहीं है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह कथन रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में यह निर्धारित किया है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय अथवा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व वसूली नहीं की जानी चाहिए। अपीलार्थी के अधिक्ता ने अधिकरण का ध्यान राजस्थान वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 17.08.2016 की आकृष्ट किया है, जिसके द्वारा राजस्थान सरकार ने उन कर्मचारियों से जो सेवानिवृत्त हुये हो या सेवानिवृत्ति में एक वर्ष का समय शेष रहा हो उनसे रिकवरी नहीं किये जाने के आदेश दिये हैं।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को चार लाभ दिये गये थे, जबकि संशोधित वेतनमान नियमों के अनुसार तीन लाभ ही देय है। इस प्रकार से अपीलार्थी से वसुली की गई, जो सही की गई है।
4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृति के समय वसूली की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195
"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:
(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि ऐसे कर्मचारी से जिनकी सेवानिवृति में एक वर्ष से कम समय शेष रहा हो तो उनसे वसूली किया जाना उचित नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. यह अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से वसूल की गयी राशि 62795/— मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अपीलार्थी को वापस लौटाई जाए। इस आदेश की पालना तीन माह में की जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)